प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी जनपद-हनुमानगढ़ (राजस्थान) की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-35989/प्रो0अनु0(2)-296/2025 (बैठक दिनांक 02.05.2025), दिनांक 12.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, पीली बंगा, थाना-पीली बंगा, जनपद- हनुमानगढ़ (राजस्थान) का निवासी है। दिनांक 07.07.2005 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त की पत्नी शिखा द्वारा अपने पति के गलत काम करने का विरोध करने पर शिखा व उसके 04 बच्चों की हत्या कर दी व कुल्हाड़ी व चाकू से मारकर 01 बच्ची को घायल किये जाने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-153/2005 में भा0द0वि0 की धारा-323/34, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/(एफ०टी०सी०), औरैया के आदेश दिनांक 07.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 2-एस०टी०नं0-93/2008, धारा-3/25 आयुध अधिनियम में 14 माह के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 00 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 16.01.2025 तक बंदी की आयु 69 वर्ष 01 माह 29 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में पुनः अपराध कर सकने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या प्रेषित करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

किमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्ग मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनांक 22.01.2025 द्वारा प्रेषित आख्या में अभियुक्त की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 07.07.2005 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त की पत्नी शिखा द्वारा अपने पति के गलत काम करने का विरोध करने पर शिखा व उसके 04 बच्चों की हत्या कर दी व कुल्हाड़ी व चाकू से मारकर 01 बच्ची को घायल किये जाने की घटना कारित की गयी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र लक्ष्मण सिंह को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी (बन्दी संख्या-23849) पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी जनपद-हनुमानगढ़ (राजस्थान) की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-540/2026/1985(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ (राजस्थान राज्य)।
2- पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ (राजस्थान राज्य)।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) डायरी संख्या-30943/2025 ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।